

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2009


शुद्धिपत्र

विषय:- यात्रा भत्ता नियमावली - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 के का. ज्ञा. सं. 19030/3/2008-संस्था-IV

के पैरा 4 (ग) कॉलम (3) में नीचे लिखे के अनुरूप संशोधन कर लिया जाए:-

सड़क द्वारा परिवहन के लिए प्रति कि.मी. दर (रुपए प्रति कि.मी.)	के स्थान पर पढ़े
18.00 (प्रति कि.मी. में 0.30 रुपए प्रति कि.ग्रा.)	18.00 (0.003 रुपए प्रति कि.ग्रा./प्रति कि.मी.)
18.00 (प्रति कि.मी. में 0.30 रुपए प्रति कि.ग्रा.)	18.00 (0.003 रुपए प्रति कि.ग्रा./प्रति कि.मी.)
9.00 (प्रति कि.मी. में 0.31 रुपए प्रति कि.ग्रा.)	9.00 (0.0031 रुपए प्रति कि.ग्रा./प्रति कि.मी.)
4.60 (प्रति कि.मी. में 0.31 रुपए प्रति कि.ग्रा.)	4.60 (0.0031 रुपए प्रति कि.ग्रा./प्रति कि.मी.)


(वाई.पी. सहगल)
उप सचिव (ई.जी.)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

प्रतिलिपि:

- (i) सभी राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र ।
- (ii) सभी राज्य की सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के राज्यपाल ।
- (iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके अधीन सभी कार्यालय ।
- (iv) संघ लोक सेवा आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक विभाग (ए.आई.एस. प्रभाग), लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, दिल्ली नगर निगम, तथा
- (v) जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।